न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 62/2018 निर्णय दिनांक :–20.06.2024

उनवानी दावा :

1. पोलू पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवाती कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. रामलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवाती कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. केसरलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवाती कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. हंसराज पुत्र कैलाश जाति गुर्जर निवाती कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. दीपक पुत्र कैलाश जाति गुर्जर निवाती कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
2. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता नन्दा पुत्र गोविन्दा गुर्जर को साबिक ख0न0 248 में से 10 बीघा भूमि भू– आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार मजामे आम मे आवंटित की गयी थी, उक्त आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा 29–11–1972 को किया गया था। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सम्भलाया गया था। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तकररण सं. 165 गैर खातेदारी का दिनाक 25–11–1975 को वादीगण के पिता के नाम भर दिया गया था और उसके पश्चात नामान्तकरण सं. 166 गैर खातेदारी से खातेदारी का भर दिया गया था तथा जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 मे खातेदारी अंकिंत कर दी गयी थी । आवंटन के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर वादीगण के पिता को कब्जा सम्भलाया गया था, वादीगण के पिता ने उक्त भूमि में काफी पैसा लगाकर काश्त योग्य बनाया था, वादीगण के पिता का देहान्त हो गया है, वादीगण मृतक नन्दा के जायज कायम मुकामान है। नन्दा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त है। केलाश का भी देहान्त हो गया है। वादीगण 4 व 5 उसके वारिस है। हाल ही मे देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है ओर सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताऐ की गयी है, साबिक ख. नं. के हाल नम्बर 791, 792, 807, 808, 809, 828, 790, 793, 797, बना दिये गये है और हाल ख. नं. 791 रकबा 0.28 है0, ख. नं. 792 रकबा 0.25 है0, 807 रकबा 0.72 है0, ख. नं. 808 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 809 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 827 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 को तो वादीगण की खातेदारी में लगा दिया गया तथा ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख0न0 793 रकबा 0.19 है0, ख. नं. 797 रब्बा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0 को सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी सेटलमेन्ट अधिकारी व न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक अंकिंत कर दिया गया जब कि सेटलमेन्ट के दोरान उक्त तीनो खसरा नम्बरान को वादीगण की खातेदारी में अकिंत करना चाहिये था, मोके पर उक्त तीनो नम्बरान पर वादीगण का कब्जा है। इसलिये यह वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी पेश है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत करते है इसलिये उन्हें

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के वादीगण के कब्जे मे उक्त तीनो हाल नम्बरान में मजामहत नहीं करे, बेदखल नही करे, ओर ताफैसला वाद पाबन्द रहे । उक्त वाद में राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया गया है। तहत कानून धारा 80 सी–पी–सी– के तहत दो माह का धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद पेश किया जा रहा है, धारा 80(2) सीपीसी का प्रा०पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है । बिनायदावा एक माह पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने जरिये हल्का पटवारी वादीगण को विवादित भूमि ले बेदखाल करने की धामकी दी, जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । दावा अन्तर्गत धधारा 88, 92–ए–, 188, राज0टि0एक्ट के तहत अन्दर मिवाद पूर्ण कोर्टफीस पर श्रीमान की सेवामे पेश है

वादीगण की आधियाचना है कि:

अः– दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत खातेदारी डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 793 रब्बा 0.19 है0, ख. नं. 797 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर इसी अनुरूप राजस्व रिकॅार्ड मे दुरुस्ती की जावे ।

वः– दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के ख0न0 790,793,797 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली मे वादीगण के कब्जे काश्त ने मजाहमत नही करे ओर वादीगण को बेदखल नही करे ।

तः– खर्चा मुकदमा व सहायता प्रदान की जावे ।

प्रतिवादी गण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दू नं. 1 वादीगणो ने ग्राम कंवरपुरा (निवारिया) में साबिक ख. नं. 248 रकबा 10 बीघा दिनाक 24.11.1972 को नन्दा पुत्र गोविन्द जाति गुर्जर के आवंटन होना बताया गया है लेकिन आवंटन पत्रावली कब्जा सुपुर्दगी व अन्य सबूत पेश नहीं किया गया है, अतः बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 2:–वादीगणो ने आवंटन का कब्जा सुपुर्दगी व कब्जा बाबत बताया है , जबकि वाद में सुपुर्दगीनामा व खसरा गिरदावरी, कब्जो के सबूत पेश नहीं किये गये है। वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 3 ग्राम कंवरपुरा के ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 793 रकब्रा 0.15 है0 ख. नं. 797 रकबा 0.06 है0 सिवायचक दर्ज किये जो स्वीकार है। वादीगणों ने कब्जा की पी. 14 व अन्य सबूत पेश नहीं किया है जो स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू 4 स्वीकार नहीं है। वादीगणो द्वारा सिवायचक भूमि पर कब्जा कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो गलत है। बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू 5, 6, 7, 8 न्यायालय से सम्बन्धित है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर पी. डब्ल्यू–1 केसरलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली का पेश किया। शपथ पत्र में पी. डब्ल्यू– 1 ने वाद के तथ्यो को ही प्रलेखित किया और प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम कंवरपुरा, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2033–36, प्रदर्श–4 व 5 नामान्तकरण संख्या 165 व 166, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श–7 ता 10 के नाटिस पेश किया है।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 रामनिवास पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी कंवरपुरा तहसील देवली का पेश किया। शपथ पत्र में पी. डब्ल्यू– 2 रामनिवास पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी कंवरपुरा तहसील देवली ने वाद के तथ्यो को ही प्रलेखित किया।

पेरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने से वादीगण से जिरह निल रही।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी सांक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक ख. नं. 248 से हाल नम्बर 791, 792, 807, 808, 809, 828, 790, 793, 797, बना दिये गये है। उक्त ख. नं. में से 791, 792, 807, 808, 809, 828 कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 तो वादीगण की खातेदारी में लगा दी गई परन्तु ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख0न0 793 रकबा 0.19 है0, ख. नं. 797 रब्बा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0 को सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी सेटलमेन्ट अधिकारी व न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक अंकिंत कर दिया गया जब कि सेटलमेन्ट के दोरान उक्त तीनो खसरा नम्बरान को वादीगण की खातेदारी में अकिंत करना चाहिये था, जबकि तत्समय मोके पर अन्य खातेदारी में लगाये ख. नं. के साथ इन खसरा नम्बरो पर भी वादीगण/वादीगण के पूर्वजो का कब्जा था। वर्तमान में भी उक्त तीनो विवादित खसरा नम्बरो पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः वादपूर्ण साबित होने से वाद को स्वीकार कर वाद को डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित तीनो खसरा नम्बरो में से केवल 790 के लिए ही सन् 2016 से 2019 के कब्जे के धारा 91 के नोटिस पेश किये हैं । सन् 2016 से पूर्व व 2019 के बाद के भी धारा 91 या अन्य कब्जे के सबूत पेश करने चाहिए थे। सेटलमेंन्ट के समय अधिकारीयो ने विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होने के कारण ही इन ख. नं. को सिवायचक किया है जो नियमानुसार सही है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली निर्णय में नियत की गई।

<u>तनकीवार निर्णयः–</u>

तनकी नं. 1:–आये वादीगण हाल ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 793 रकबा 0.19 है0, ख. नं. 797 रकबा 0.06 है0, वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ? –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में ख. नं. 791 रकबा 0.28 है0, ख. नं. 792 रकबा 0.25 है0, 807 रकबा 0.72 है0, ख. नं. 808 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 809 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 827 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 वादीगण की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 साबिक ख. नं. 248 मिन रकबा 72 बीघा 3 बिस्वा, 10 बीघा, 15 बीघा, 15 बीघा से हाल ख. नं. 786 रकबा 1.10 है0, ख. नं. 790 रकबा 0.62 है0, ख. नं. 791 रकबा 0.28 है0, ख. नं. 792 रकबा 0. 25 है0, ख. नं. 795 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 796 रकबा 1.83 है0, ख. नं. 808 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 807 रकबा 0.72 है0, ख. नं. 809 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 818 रकबा 1.97 है0, ख. नं. 828 रकबा 0.50 है0, ख. नं. 793 रकबा 0.59 है0, ख. नं. 797 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 778 रकबा 1.03 बनाये गये। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में नन्दा पुत्र गोविन्दा कोम गुर्जर सा. देह में ख. नं. 248 रकबा 10 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 नामान्तकरण संख्या 165 निर्णय

दिनांक 25.11.75 से ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली के ख. नं. 248 रकबा 10 बीघा पहाड़ गै. मु. नन्दा गुर्जर को 10 बीघा गैर खातेदारी का मंजूर किया गया है। प्रदर्श–5 नामान्तकरण 166 निर्णय दिनांक 17.11.75 ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली में नन्दा पुत्र गोविन्दा गुर्जर सा. देह गैर खातेदार को ख. नं. 248 रकबा 10 बीघा बारानी 3 को एस.डी.ओ के आदेशानुसार नन्दा गुर्जर को 10 बीघा खातेदारी का नामान्तकरण मंजूर किया जाता है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी में ख. नं. 248 मिन रकबा 10 बीघा पहाड़ नन्दा पुत्र गोविन्दा कोम गुर्जर सा. देह अलोटी दर्ज है। प्रदर्श–7, 8, 9, 10 सन् 2016, 17, 18, 19 सम्वत 2073, 74, 75 व 76 में ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, के लिए धारा 91 के नोटिस पेश किये है।

उक्तानुसार प्रदर्श पर विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नन्दा पुत्र गोविन्दा को 10 बीघा की खातेदारी प्रदान की गई। सेटलमेन्ट के बाद साबिक ख. नं. 248 मिन से 791, 792, 807, 808, 809, 828, 790, 793, 797, 786, 795, 796, 818 बनाये गये । वादीगण ने दस्तावेज से यह साबित किया है कि इनमें से 791, 792, 807, 808, 809, 828 कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 पर वादीगण को खातेदारी दे दी गई। साबिक 10 बीघा के है0 में 2.50 है0 होता है जिसमें से वादीगण को 2.13 है0 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। शेष 0.37 है0 के लिए वादीगण ख. नं. 790 रकबा 0.62 है0 में से 0.12 है0, ख. नं. 793 रकबा 1.83 है0 में से 0.19 है0, ख. नं. 797 रकबा 0.06 है0 में से 0.06 है0 की खातेदारी चाहते है। वादीगण वाद अनुसार ख. नं. 790, 793, 797 पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। वादीगण ने इसके लिए ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0 के लिए धारा 91 के सन् 2016 से 19 के नोटिस पेश किये है परन्तु वादीगण यह साबित नहीं कर पा रहे है कि सेटलमैन्ट के समय से ही वादीगण का उक्त विवादित आराजी ख. नं. पर कब्जाकाश्त रहा है और ना ही वादीगण ने साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट पेश की है जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण का खातेदारी के समय से उक्त विवादित निश्चित क्षैत्र पर कब्जा रहा है और लगातार चला आ रहा है, क्योंकि साबिक ख. नं. 248 मिन से अन्य खसरा नम्बरान का बनना भी मिलान क्षैत्रफल से दर्शित है। वादीगण ख. नं. विशेष से ही आंशिक भू भाग का क्लेम कर रहे है, जोकि दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है कि हाल ख. नं. 790, 793 व 797 की खातेदारी साबिक ख. नं. 248 मि. के मुताबिक वादीगण की रही हो। अतः वादीगण द्वारा विवादित खसरा नम्बरो. पर वादीगण का कब्जेकाश्त व साबिक व हाल नक्शा शीट द्वारा साबित नहीं करने के कारण यह तनकी विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2: आये वादीगण हाल ख. नं. 790 रकबा 0.12 है०, ख. नं. 793 रकबा 0.19 है0, ख. न. 797 रकबा 0.06 है0, वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली में कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की हकदार है ? –वादीगण–

तनकी नं. 1 के निर्णय वादीगण के विरूद्ध होने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3: आये प्रतिवादीगण हाल ख. नं. 790 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 793 रकबा 0.19 है० ख नं. 797 रकबा 0.06 है०, वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का कब्जेकाश्त खसरा गिरदावरी व कब्जे का सबूत पेश नहीं करने के कारण वाद खारिज योग्य है ? –प्रतिवादीगण–

तनकी नं. 1 व 2 के अनुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

ा:– 62/2018 उनवाना पोलू वगे. बनाम सरकार
ांक:–20.06.2024

आदेश

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से विवादित खसरा नम्बरो. पर वादीगण का लगातार कब्जेकाश्त साबित नहीं होने व विवादित आराजी को साबिक व हाल नक्शा शीट द्वारा साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली